न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– जय कौशिक (आर.ए.एस)

मु.न.:– प्रार्थना–पत्र विविध 553/2023

1. संतोष देवी पुत्री स्व श्री रामूराम, जाति जाट, निवासी पिपराली, तहसील व जिला सीकर

प्रार्थिया

बनाम

1. चुन्नीलाल पुत्र श्री रामूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम पिपराली, तहसील व जिला सीकर
2. भागोती देवी पुत्री श्री रामूराम, जाति जाट, निवासी पिपराली, तहसील व जिला सीकर हाल निवासी पोषाणा, तहसील उदयपुरावाटी, जिला झुंझुनू
3. सहायक अभियंता (ओ एण्ड एम) अ.वि.वि.नि.लि. पिपराली, मु. सीकर
4. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय, सीकर
5. भूमिधारक राज्य सरकार तहसील व जिला सीकर

अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री नोपाराम जांगिड, वकील प्रार्थिया
अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, वकील अप्रार्थी

आदेश

दिनांक – 10.01.2024

प्रार्थना–पत्र प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस कार से है कि ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की भूमि खसर नम्बर 5588/110, 589/110, 5590/109 व 5591/109 कुल किता 4 कुल रकबा 4.5400 हैक्ट अवस्थित है जिसका पूर्व में खातेदार काबिज, काश्त प्रार्थिया का पिता रामूराम पुत्र छीतर राम रहा। उक्त रामूराम की मृत्यु दिनांक 03.10.2006 को हो जाने के पश्चात उनके वैध उतराधिकारी काबिज काश्त है। प्रार्थिया के पिता की मृत्यु के बाद उसका विरासती नामान्तकरण संख्या 1780 दिनांक 07.12.2006 को राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने गलत रूप से प्रार्थिया के भाई चुन्नीलाल ने अपने व माता जिनकू देवी के नाम स्वीकार कर लिया तथा प्रार्थिया को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया जो अवैध है, प्रार्थिया वादग्रस्त भूमि के हिस्से 1/3 पर काबिज, काश्त चली आ रही है। प्रार्थिया को भाई चुन्नीलाल द्वारा वृद्ध माता जिनकू देवी की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर उसके हिस्से 1/4 की भूमि का उपहार पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के नाम करवा लिया तथा नामान्तकरण संख्या 3386 दिनांक 20.08.2019 द्वारा अपने नाम करवा लिया। जिनकू देवी की मृत्यु 17.05.2019 को हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थिया के हक व हिस्से की भूमि को हडपने की गरज से उसे बेदखल करने व विक्रय, अन्तरण की कुचेष्टा में लगे हुए है जिसके कारण प्रार्थिया ने माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया व प्रार्थना–पत्र तावत् अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 124/2019 पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 07.12.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की तथा उक्त प्रार्थना–पत्र का निर्णय दिनांक 12.03.2021 को किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को रिकार्ड की यथास्थिति हेतु

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

बंद किया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दग्रस्त भूमियों में पुख्ता निर्माण करने हेतु निर्माण सामग्री डाल दी तथा अब रात–दिन अवैध र्माण कार्य करने में लगे है व प्रार्थिया को बेदखल करने में लगे हुए है। इसलिए वादग्रस्त मि पर निर्माण कार्य करने व प्रार्थिया को भूमि से बेदखल करने के बाज करने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण को प्रतिबंधित किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसका विवरण इस प्रकार कि प्रार्थिया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद के साथ ही आवेदन बाबत् अस्थाई षेधाज्ञा मु.न. 124/2019 इस आशय से पेश किया कि वादग्रस्त भूमिया ग्राम पिपराली हसील व जिला सीकर की भूमि खसर नम्बर 5588/110, 5589/110, 5590/109 व 591/109 कुल किता 4 कुल रकबा 4.5400 हैक्ट से प्रार्थिया को बेदखल करने, कब्जे काश्त बाधा डालने, रिहायश में हस्तक्षेप करने, टयूबवैल कनेक्शन लेने, मौके व रिकॉर्ड की स्थिति परिवर्तन करने से बाज रहे, आशय का प्रस्तुत किया जिसका अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत र निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। ावेदन व जवाब आवेदन व समस्त तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात माननीय न्यायालय ाजा द्वारा दिनांक 12.03.2021 को अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार कर ादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.03.2021 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां चुन्नीलाल बनाम संतोष आदि अपील संख्या 40/2021 पेश कर रखी है जो विचाराधीन है। प्रार्थिया द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध आज तक कोई अपील/रिविजन आदि प्रस्तुत नहीं की है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थिया माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश से संतुष्ट है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश पूर्व में दिनांक 21.03.2021 को निर्णित किया जा चुका है और उन्ही तथ्यों के आधार पर नया आवेदन प्रार्थिया द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज करने योग्य है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया एंव प्रार्थना–पत्र के तथ्यों, विधिक आपत्ति तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व पाया गया कि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थिया द्वारा वाद संख्या 157/2019 के साथ प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 124/2019 पेश किया था। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा 12.03.2021 को वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करते हुए अंतिम निर्णय कर दिया। जिसकी अपील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के समक्ष की गई है जो विचाराधीन है। न्यायालय हाजा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण दिनांक 21.03.2021 को निर्णित किया जा चुका है तथा उन्ही तथ्यों के आधार पर प्रार्थिया द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया है जो विधि संगत नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अप्रार्थीसंख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विधित आपत्ति को स्वीकार कर प्रार्थिया द्वारा पेश आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी सीकर